20201 13 एस.सी.आर. 566

निमय साह

बनाम

झारखंड राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 211 ऑफ़ 2011) 02 दिसंबर, 2020

[वी रमना और सूर्यकांत, जेजे]

दंड संहिता, 1860–5.498 ए आर/डब्ल्यूएस.34–दहेज हत्या का आरोप–अपीलकर्ता– आरोपी (मृतका के पति का बड़ा भाई) को पति और ससुर के साथ दोषी ठहराया गया–उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई–अपील पर, अस्पष्ट से अलग रखा गया आरोप, शत्रुतापूर्ण रवैये या दहेज की लगातार मांग का कोई विशेष उदाहरण किसी भी गवाह द्वारा इंगित नहीं किया गया था धारा 498–ए की सामग्री अपीलकर्ता के खिलाफ साबित नहीं हुई–अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

आयोजितः 1.1 गवाहों की गवाही को पढ़ने से यह पता चलता है। पीडब्लू.10 द्वारा अपीलकर्ता–अभियुक्त का नाम बताया गया है कि वह दहेज में 10000/–रुपये की मांग के लिए मृतिका को परेशान कर रहा था।हालाँकि, अपने बयान में, अपीलकर्ता–अभियुक्त का नाम अन्य आरोपी व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ एक ही सांस में लिया गया है। इस व्यंग्य के अलावा, पी.डब्लू.7, पी.डब्लू.8 और पी.डब्लू.9 ने विशेष रूप से अपीलकर्ता–अभियुक्त का नाम लिए बिना कहा कि मृतका को उसके वैवाहिक घर में परेशान किया जा रहा था। इन अस्पष्ट आरोपों के अलावा, इनमें से किसी भी गवाह द्वारा शत्रुतापूर्ण रवैये या दहेज की लगातार मांग का कोई विशेष उदाहरण नहीं बताया गया है। इसके अलावा, मृतिका के भाई पी.डब्ल्यू.7 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि मृतिका उसे अपने वैवाहिक स्थान से पत्र लिखती थी, और किसी भी पत्र में दहेज की मांग के कारण किसी भी उत्पीड़न का उल्लेख नहीं है। अन्य सभी स्वतंत्र गवाह मुकर गए और अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं

किया। वास्तव में, यहां तक कि पी.डब्ल्यू.2, जो मृतक का चाचा है और एफआईआर में नामित गवाह है, ने भी अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार,

566 निमय साह बनाम झारखंड राज्य

गवाहों की मौखिक गवाही पर विचार करने से, धारा 498–ए आईपीसी की सामग्री अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे के मानक पर अपीलकर्ता–अभियुक्त के खिलाफ साबित नहीं की गई है। आईपीसी की धारा 498–ए के तहत अपीलकर्ता–अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। अपीलकर्ता–अभियुक्त की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता। तदनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 11.02.2010 को रद्द किया जाता है और अपीलकर्ता–अभियुक्त को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है। दिनांक 17.09.2010 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता–अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उनके जमानत बन्धपत्र खारिज किये जाते हैं। (पैरा 13–17)(569–जी–एचः 570–ए–ई)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील

2011 की संख्या 211

(आपराधिक अपील (एस) संख्या 176/2001 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के निर्णय और आदेश दिनांक 11.02.2010 से)

ब्रज किशोर मिश्रा, विनोद कुमार, अभिषेक यादव श्रीमती अप्रणा झा, राजीव शंकर द्विवेदी, मनोज कुमार, आन्नदो मुखर्जी, कृष्णानंद पाण्डेय, उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय एन. वी. रमना, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा 2001 की आपराधिक अपील (एस.जे.) संख्या 176 में पारित दिनांक 11.02.2010 के आक्षेपित निर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपर जिला न्यायाधीश, पाकुड़ द्वारा पारित निर्णय सत्य विचारण सख्या 235/98 के

और आदेश की पुष्टि की है। 45/1998 दिनांक 09.05.2001 और अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ धारा 34 आईपीसी के साथ पठित धारा 498–ए के तहत अपीलकर्ता–अभियुक्त की सजा को बरकरार रखा।

2. वर्तमान अपील आरोपी नंबर 3 निमय साह से संबंधित है, जो मृतिका के पति गोरा साह, का बड़ा भाई है। 1. वर्तमान अपीलकर्ता–अभियुक्त को आरोपी नंबर 1, मृतक के पति गोरा साह और आरोपी नंबर 2, मृतक के ससुर नितल साह के साथ सजा का सामना करना पड़ा है।

3. मृतक, आशा कुमारी की शादी आरोपी नंबर 1. गोरा साह से हुई थी और वह अपने वैवाहिक घर में रह रही थी। अभियोजन की कहानी के अनुसार दहेज में 10,000/– रुपये की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था।

(केवल दस हजार रूपये) आरोपी व्यक्तियों द्वारा। यह मांग मूल रूप से उसके पिता, शिकायतकर्ता, देवेन्द्र साह (पीडब्लू.10) से, उसकी विदाई समारोह के समय की गई थी। उसके पिता देवेन्द्र साह (पीडब्लू.10), उसके उत्पीड़न की शिकायतो के चलते उसके ससुराल वालों को समझाने के लिए उसके वैवाहिक घर गए और उन्हें उक्त राशि के भुगतान का आश्वासन दिया। अंततः जब उत्पीड़न नहीं रुका, तो शिकायतकर्ता ने अपने बेटे, मुन्ना साह (पी.डब्लू.8) को मृतक के वैवाहिक घर भेजा, जो उसे उसके माता–पिता के घर वापस ले आया।

4. अभियुक्त क्रमांक 1, मृतिका का पति गोरा साह दिनांक 18.02.1998 को मृतिका के मायके गया था। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, यानी 20.02.1998 को, वह मृतक को सुबह की सैर के लिए ले गया। एक घंटे बाद अकेले वापस आकर उसने जाने के लिए जल्दी से अपना सामान पैक किया। जब उनसे मृतका के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मृतका को लघूशंका लगी थी और वह जल्द ही वापस आ जाएगी। इसके बाद वह चला गया। जब मृतिका एक घंटे के बाद तक वापस नहीं लौटी, तो शिकायतकर्ता ने उसकी तलाश शुरू कर दी और अंततः वह नहर के पास मृत पाई गई और उसकी गर्दन पर गला घोंटने के निशान थे। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 के साथ पठित धारा 304–बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. आरोपी व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 498–ए और आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 304–बी के तहत आरोप लगाए गए थे। आरोपी व्यक्तियों ने सीआरपीसी की

धारा 313 के तहत अपने बयानों में अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए सभी सबूतों से इनकार किया, झूठे निहितार्थ का दावा किया। और खुद को निर्दोष बताया।

6. निर्णय और आदेश दिनांक 09.05.2001 द्वारा, ट्रायल कोर्ट ने, अभियोजन पक्ष के संस्करण पर भरोसा करते हुए, आरोपी व्यक्तियों को निम्नानुसार दोषी ठहरायाः

(1). गोरा साह (ए–1) निमाय साह बनाम झारखंड राज्य

[एन०वी० रमना, जे०]

7. दोषसिद्धि एवं सजा के उपर्युक्त आदेश से व्यथित। आरोपी व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की। उच्च न्यायालय ने सबूतों के विश्लेषण पर इसे सुसंगत और पुष्ट पाया, जिससे ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित फैसले और सजा के आदेश के साथ–साथ आक्षेपित आदेश की सजा की पुष्टि की गई।

6. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित, जिसमें सभी आरोपी व्यक्तियों की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई है, आरोपी नंबर 3। यह अपील मृतिका के पति के भाई निमाय साह ने की है.

9. अपीलकर्ता–अभियुक्त की ओर से विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि किसी भी स्वतंत्र गवाह ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है, यह तर्क दिया गया था कि अभियोजन की कहानी में अस्पष्ट आरोप शामिल हैं, जो सबूतों से अप्रमाणित हैं। इस मामले में आरोपी संख्या 1. मृतिका के पति गोरा साह के पूरे परिवार को शामिल किया गया है. इस प्रकार, अपीलकर्ता–अभियुक्त की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

10. दूसरी ओर, प्रतिवादी–राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने समवर्ती दोषसिद्धि के तथ्य पर जोर दिया और तर्क दिया कि अपीलकर्ता–अभियुक्त की दोषीता को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद थे।

11. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना और रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

12. अभियोजन की कहानी के अनुसार, अपीलकर्ता–अभियुक्त की भूमिका 10,000/–रुपये की दहेज की मांग विदाई समारोह के समय करने और बाद में भुगतान न करने पर उत्पीड़न करने तक सिमित है। उच्च न्यायालय ने दहेज के लिए उत्पीड़न के तथ्य को बरकरार रखने के लिए श्याम सुंदर साह (पीडब्लू.7), मुन्ना साह (पीडब्लू8), चंपो देवी (पीडब्लू.9) और देवेन्द्र साह (पीडब्लू 10) की गवाही पर भरोसा किया है।

13. गवाहों की गवाही पर गौर करने पर, हम पाते हैं कि, देवेन्द्र साह (पीडब्लू 10) ने अपीलकर्ता–अभियुक्त का नाम बताया है कि वह दहेज में 10,000/–रुपये की मांग के लिए मृतक को परेशान कर रहा था। हालाँकि, अपने बयान में, अपीलकर्ता आरोपी का नाम अन्य आरोपी व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ एक ही सांस में लिया गया है। इस गवाह के अलावा, श्याम सुंदर साह (पी.डब्लू.7), मुन्ना साह (पी.डब्लू.8) और चंपा देवी (पी.डब्लू.9) ने कहा कि मृतका को उसकी ससुराल में परेशान किया जा रहा था।

विशेष रूप से अपीलकर्ता–अभियुक्त, निमय साह का नाम लिए बिना।

14. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन अस्पष्ट आरोपों के अलावा, इनमें से किसी भी गवाह द्वारा शत्रुतापूर्ण रवैये या दहेज की लगातार मांग का कोई विशेष उदाहरण नहीं बताया गया है। इसके अलावा, मृतक के भाई श्याम सुंदर साह (पीडब्लू.7) ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि मृतक उसे अपने वैवाहिक स्थान से पत्र लिखती थी और किसी भी पत्र में दहेज की मांग के कारण किसी भी उत्पीड़न का उल्लेख नहीं है।

15. अन्य सभी स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही हुए हैं और अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। वास्तव में, यहां तक कि पंचानन साह (पी.डब्लू.2) जो मृतक के चाचा हैं और एफआईआर में नामित गवाह हैं, ने भी अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है।

16. इस प्रकार, गवाहों की मौखिक गवाही पर विचार करने पर, धारा 498–ए आईपीसी की सामग्री अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे के मानक पर अपीलकर्ता–अभियुक्त के खिलाफ साबित नहीं की गई है। ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ता–अभियुक्त को धारा 498–ए आईपीसी के तहत आरोप के लिए दोषी ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है।

17. उपरोक्त के आलोक में, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता–अभियुक्त की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार, आपराधिक अपील (एस) 176 सन् 2001 में झारखंड उच्च न्यायालय,

रांची द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 11.02.2010 को रद्द किया जाता है और अपीलकर्ता–अभियुक्त को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है। दिनांक 17.09.2010 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने अपीलकर्ता–अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया था। उनके जमानत बन्धपत्र खारिज किये जाते हैं।

18. उपरोक्त शर्तों के अनुसार अपील स्वीकार की जाती है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निस्तारण किया जाता है।

दिव्या पांडे अपील स्वीकृत।

Pratibha,
Chief Judicial Magistrate,
Shamli.